2023 का विधेयक संख्यांक 92.

[दि कांस्टिट्यूशन (जम्मू एंड कश्मीर) शिड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

सं0आ0 142

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 की अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

भाग 1—जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र

1. बकरवाल
2. बाल्टी
3. बेडा
4. बोट, बोटो
5. बोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
6. चंगपा
7. गद्दा ब्राह्मण
8. गद्दी
9. गर्रा
10. गूजर
11. कोली
12. मोन
13. पडारी कबीला
14. पहाड़ी जातीय समूह
15. पुरिगपा
16. सिप्पी ।

भाग 2—लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र

1. बकरवाल
2. बाल्टी
3. बेडा
4. बोट, बोटो
5. बोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
6. चंगपा
7. गद्दी
8. गर्रा
9. गूजर
10. मोन
11. पुरिगपा
12. सिप्पी ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है, के रूप में परिभाषित किया गया है ।

2. संविधान का अनुच्छेद 342, नीचे दिए अनुसार उपबंध करता है :—

"342. अनुसूचित जनजातियां—(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।" ।

3. उक्त सांविधानिक उपबंधों के अनुसार, तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची को संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 द्वारा अधिसूचित किया गया था । अनुसूचित जनजातियों की उक्त सूची संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा संशोधित किया था । जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के उपबंधों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की उक्त सूची, वर्तमान में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र दोनों पर लागू होती है।

4. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में "गद्दा ब्राह्मण", "कोली", "पडारी कबीला" तथा "पहाड़ी जातीय समूह" के समुदायों को सम्मिलित करने का अनुरोध किया है । जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की सिफारिश के आधार पर और भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग से परामर्श के पश्चात्, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया है ।

5. तद्नुसार, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में "गद्दा ब्राह्मण", "कोली", "पडारी कबीला" तथा "पहाड़ी जातीय समूह" के

समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
17 जुलाई, 2023

अर्जुन मुंडा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में "गद्दा ब्राह्मण", "कोली", "पडारी कबीला" तथा "पहाड़ी जातीय समूह" के समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का संशोधन करने के लिए है । जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आशयित स्कीमों को जारी रखने के अधीन विधेयक में प्रस्तावित उक्त समुदायों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपबंधित फायदे के लेखे अतिरिक्त व्यय हो सकेगा ।

2. इस प्रक्रम पर इस लेखे उपगत अतिरिक्त व्यय का आकलन करना संभव नहीं है । तथापि, व्यय, यदि कोई हो, सरकार के अनुमोदित बजटीय परिव्यय के भीतर ही किया जाएगा ।

उपाबंध

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 (सं0 आ0 142) से उद्धरण

* * * * * *

अनुसूची

1. बाल्टी
2. बेडा
3. बोट, बोटो
4. बोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
5. चंगपा
6. गर्रा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गूजर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी ।

* * * * * *